आपराधिक विविध

समक्ष ए. डी. कोशल और एस. एस. सिद्धू, न्यायमूर्ति।

रण सिंह,-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और दूसरा,-उत्तरदाता।

1975 की आपराधिक विविध संख्या 221 एम।

6 अगस्त, 1975।

पंजाब राज्य सुरक्षा अधिनियम (1953 का 12)-धारा 9-राज्य कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में जुलूस-ऐसे कर्मचारियों को बड़ी संख्या में जुलूस में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना ताकि कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो-चाहे धारा 9 के तहत अपराध हो।

अभिनिर्धारित किया गया कि पंजाब राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1953 की धारा 9 तब तक लागू नहीं होती है जब तक कि दोषी करार दिए गए अधिनियम का सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने से कुछ लेना-देना न हो। जहां राज्य कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में एक जुलूस आयोजित किया जाता है और ऐसे कर्मचारियों को बड़ी संख्या में जुलूस में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि अधिकारियों के लिए कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो, तो यह आह्वान भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 19 के खंड (1) के खंड (ए) और (बी) के तहत गारंटीकृत अधिकारों के प्रयोग से अधिक कुछ नहीं है। यह सच है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण ढंग से और बिना हथियारों के इकट्ठा होने के इन अधिकारों को सार्वजनिक व्यवस्था के हित में कानून द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है जो उक्त प्रकार के जुलूस के आयोजन के रास्ते में खड़ा हो, अब तक किसी भी कानून द्वारा लगाया गया है। यदि यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि जुलूस किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में लिप्त है या अन्यथा सार्वजनिक शांति का उल्लंघन करने के लिए गणना की जाती है, तो सार्वजनिक व्यवस्था को किसी भी तरह से जुलूस से खतरा नहीं कहा जा सकता है। अधिनियम की धारा 9 के प्रावधान पूरी तरह से लागू नहीं होते हैं और इसलिए कर्मचारियों को बड़ी संख्या में जुलूस में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना ताकि अधिकारियों के लिए कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो, इसके तहत अपराध नहीं है। (पैरा 7).

माननीय न्यायमूर्ति एस. एस. सिद्धू द्वारा 15 अप्रैल, 1975 को मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए एक डिवीजन ब्लेंच को भेजा गया मामला। माननीय न्यायमूर्ति ए. डी. कोशल और माननीय न्यायमूर्ति एस. एस. सिद्धू की खंडपीठ ने अंततः 6 अगस्त, 1975 को मामले का फैसला सुनाया।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि पुलिस थाना सिटी भिवानी में 14 अप्रैल, 1974 को पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 157 और उसके आधार पर और उसके बाद की अभियोजन कार्यवाही को रद्द किया जाए और आगे यह प्रार्थना की जाए कि निचली अदालत में

कार्यवाही, जिसके समक्ष याचिकाकर्ता के अभियोजन के लिए चालान के कागजात प्रस्तुत किए गए हैं, याचिका के निपटान तक रोक दी जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ज्ञान सिंह।

वी. एम. जैन, महाधिवक्ता, हरियाणा के अधिवक्ता।

डिवीजन बेंच का निर्णय दिनांक 6 अगस्त, 1975

कोशल, न्यायमूर्ति:-

(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन इस याचिका में यह अनुरोध किया गया है कि 14 अप्रैल, 1974 को पुलिस स्टेशन सिटी भिवानी में पंजाब राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1953 (जिसे इसके पश्चात् अधिनियम कहा जाता है) की धारा 9 के अधीन किसी अपराध के संबंध में, जो कि याचिकाकर्ता रण सिंह द्वारा कथित रूप से किया गया है और उसके अनुसरण में की गई कार्यवाहियों के संबंध में, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 157 (जिसे इसके पश्चात् रिपोर्ट कहा गया है) को रद्द कर दिया जाए।

(2) रिपोर्ट का आधार गोपनीय D.O पत्र संख्या स्टेनो-74-150, दिनांक 19 फरवरी, 1974 (इसके बाद पत्र के रूप में संदर्भित) है जिसे श्री ओ पी गुप्ता, जिला शिक्षा अधिकारी, भिवानी द्वारा उपायुक्त, भिवानी को संबोधित किया गया है, जिसे विस्तार में निर्धारित किया जा सकता है:- "एक श्री रण सिंह, साइंस मास्टर, गवर्नमेंट हाई स्कूल, सोहंसरा, मेरे कार्यालय में पोस्टर (प्रति संलग्न) वितरित करने और इस कार्यालय के कर्मचारियों को 21 फरवरी, 1974 को शाम 5 बजे भिवानी में कर्मचारियों की रैली में भाग लेने के लिए मजबूर करने आए। मेरे कार्यालय के अधीक्षक/स्टेनो ने इस मास्टर को ऐसे पोस्टर वितरित करने और कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से उकसाने की अनुमति नहीं दी। हालांकि, उन्होंने कार्यालय की मेज पर कुछ पोस्टर फेंके। मैंने पहले ही डी. पी. आई. को इस अनुशासनहीन गुरु के स्थानांतरण के लिए सिफारिश की थी, जो शिक्षकों को सरकार के खिलाफ भड़काने में गहरी रुचि रखता है और उस आशय के आदेश अभी भी प्रतीक्षित हैं। यह केवल आपकी जानकारी और कार्रवाई के लिए है जिसे आप उचित समझ सकते हैं। विनम्र श्रद्धांजलि के साथ "।

पत्र के साथ विचाराधीन पोस्टर की एक प्रति (जिसे इसके बाद पोस्टर के रूप में वर्णित किया गया है) थी, जिसका जब स्वतंत्र रूप से अनुवाद किया जाता है, तो इसमें लिखा होता है:-"हमने इस बगीचे को अपने दिल के खून से पाला है। यह हर पत्ते पर अंकित है। माली का इरादा गलत है अन्यथा बगीचे पर हमारा अधिकार है। कार्यकर्ताओं और छात्रों की एकता लंबे समय तक बनी रहे। भिवानी पहुँचें, आदरणीय साथियों और बहनों। जैसा कि सभी को पता है कि आप लोगों ने 14 फरवरी, 1974 को भिवानी की लोहारू और दादरी तहसीलों में बड़ी ताकत से पहुंच कर अपनी एकता का प्रदर्शन किया है। अब गुरुवार, 21 फरवरी, 1974 को किरोड़ीमल पार्क में शाम 5 बजे के बाद जिला स्तर पर एक बड़ा जुलूस निकाला जाएगा। इसलिए आप जिला भिवानी के कर्मचारियों और छात्रों से अनुरोध है कि बड़ी संख्या में भिवानी पहुँचें और जुलूस को सफल बनाएं। जुलूस का नेतृत्व श्री एस. डी. कपूर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एच. एस. ई. बी. और श्री जगवीर सिंह, अध्यक्ष, एच. पी. डब्ल्यू. डी. करेंगे, जो प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त को मांगों

का ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। जिला समन्वय समिति, भिवानी, सत्ता और क्रूरता के हर प्रयोग के बावजूद हमारा नारा 'संघर्ष' है।

(3) पत्र और पोस्टर उपायुक्त द्वारा पुलिस अधीक्षक, भिवानी को आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित किया गया था, जो याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज करने और उसके परिणामस्वरूप न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अधिनियम की धारा 9 के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाने के लिए निकला।

(4) याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसके खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों पर अधिनियम की धारा 9 के तहत कोई अपराध नहीं बनाया गया है और इस कारण से रिपोर्ट और निचली अदालत के समक्ष की कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है।

(5) अधिनियम की धारा 9 इस प्रकार हैः -

> "9. अफवाहों आदि का प्रसारः-जो कोई भी-(क) कोई भाषण देता है, या (ख) शब्दों द्वारा, चाहे वह बोली गई हो या लिखित, या संकेतों द्वारा या दृश्य या श्रव्य अभ्यावेदन द्वारा या अन्यथा कोई बयान, अफवाह या रिपोर्ट प्रकाशित करता है, यदि ऐसा भाषण, बयान, अफवाह या रिपोर्ट राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता को कमजोर करता है, या न्यायालय की अवमानना, मानहानि या राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल अपराध के लिए उकसाने के बराबर है, या राज्य को उखाड़ फेंकने की प्रवृत्ति रखता है, तो वह कारावास से दंडनीय होगा जो तीन साल तक बढ़ सकता है या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा।

राज्य का मामला यह है कि श्री गुप्ता के कार्यालय में पोस्टर की प्रतियां फेंकने में याचिकाकर्ता का आचरण सार्वजनिक व्यवस्था को कमजोर करने के लिए किया गया था और यह सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल अपराध के लिए उकसाने के बराबर था क्योंकि पोस्टर में भिवानी के श्रमिकों और छात्रों को 21 फरवरी, 1974 को किरोड़ीमल पार्क, भिवानी में बड़ी संख्या में इकट्ठा होने और अपनी मांगों के समर्थन में एक जुलूस निकालने का आह्वान किया गया था, जिसे ज्ञापन के रूप में उपायुक्त, भिवानी को प्रस्तुत किया जाना था। जिला शिक्षा अधिकारी, भिवानी के कार्यालय के अधीक्षक श्री बी. एस. शर्मा और स्टेनो श्री ओ. पी. शर्मा द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत जिला शिक्षा अधिकारी, भिवानी को दिए गए बयान के कुछ हिस्सों का भी संदर्भ दिया गया है श्री बी. एस. शर्मा ने कहाः-"19 फरवरी, 1974 को दोपहर लगभग 12:15 बजे श्री रण सिंह ने कार्यालय में प्रवेश किया और क्लर्कों को उकसाना शुरू कर दिया कि 21 फरवरी, 1974 को भिवानी में हरियाणा सरकार के खिलाफ निकाले जा रहे जुलूस में बड़ी संख्या में भाग लें और सरकार के खिलाफ नारे लगाएं। तब हरियाणा सरकार के लिए कानून-व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा और इस तरह सरकार कर्मचारियों की सभी मांगों को मान लेगी। जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने बिना अनुमति के कार्यालय में प्रवेश क्यों किया और कार्यालय के काम में बाधा क्यों डाल रहे हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और टेबल और कमरे पर पोस्टर बिखेर दिए और यह कहते हुए चले गए कि कार्यालय के हाथों को बड़ी संख्या में जुलूस में भाग लेना चाहिए। श्री ओ. पी. शर्मा द्वारा दिए गए वक्तव्य का प्रासंगिक भाग भी इसी तरह का है।

(6) यह देखा जाएगा कि राज्य के मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ निम्नलिखित आरोप शामिल हैंः-

(ए) याचिकाकर्ता श्री गुप्ता के कार्यालय में प्रवेश किया और 21 फरवरी के जुलूस में बड़ी संख्या में शामिल होने के लिए कार्यालय के हाथों का आह्वान किया।

(ख) राज्य कर्मचारियों और छात्रों की मांगों के समर्थन में जुलूस निकाला जाना था और उपायुक्त को मांगों के चार्टर की प्रस्तुति के साथ इसका समापन होना था।

(ग) याचिकाकर्ता ने घोषणा की कि जुलूस सरकार के लिए कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा करेगा जिसके परिणामस्वरूप वह उक्त मांगों को पूरा करने के लिए मजबूर होगी।

(7) ये आरोप, चाहे सामूहिक रूप से लिए गए हों या व्यक्तिगत रूप से विचार किए गए हों, हमारी राय में, अधिनियम की धारा 9 के प्रासंगिक भाग को आकर्षित नहीं करते हैं, जो तब तक लागू नहीं होता है जब तक कि दोषी होने वाले उक्त कार्य का सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने से कुछ लेना-देना न हो। अब याचिकाकर्ता ने जो कुछ भी कहा या किया वह संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (1) के खंड (ए) और (बी) के तहत उसे गारंटीकृत अधिकारों के प्रयोग से अधिक कुछ नहीं है, जिसके प्रासंगिक भाग में कहा गया हैः

"19. (1) सभी नागरिकों को अधिकार होगा-(क) बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता; (ख) शांतिपूर्ण ढंग से और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का।

यह सत्य है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्रित होने के इन अधिकारों को अनुच्छेद के खंड (2) में निर्धारित सार्वजनिक व्यवस्था आदि के हित में कानून द्वारा उस पर लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन किया जा सकता है, लेकिन फिर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है जो याचिकाकर्ता के जुलूस के आयोजन के रास्ते में खड़ा होगा, जिसे अब तक अधिनियमित किसी भी कानून का हिस्सा दिखाया गया है। वास्तव में इस बात का संकेत देने के लिए कुछ भी नहीं है कि जुलूस किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल होने के लिए था या अन्यथा सार्वजनिक शांति को भंग करने के लिए गणना की गई थी। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि जुलूस से सार्वजनिक व्यवस्था को किसी भी तरह से खतरा था। इसलिए अधिनियम की धारा 9 के प्रावधान याचिकाकर्ता के मामले में पूरी तरह से लागू नहीं होते हैं। राम बहादुर राय बनाम बिहार राज्य और अन्य में सर्वोच्च न्यायालय के उनके अधिपतियों ने भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया था। याचिकाकर्ता को उनके लॉर्डशिप के समक्ष आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम (1971 का 26) की धारा 3 (1) (ए) (ii) के तहत हिरासत में लिया गया था, ताकि उसे सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण किसी भी तरीके से कार्य करने से रोका जा सके। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सूचीबद्ध पहचान के आधारों में से एक थाः

जबकि 1 मार्च 1974 को श्री लालू प्रसाद यादव की अध्यक्षता में छात्र संचालन समिति की बैठक हुई थी, जिसमें छात्रों के आंदोलन के संचालन के लिए एक संचालन समिति बनाने का निर्णय लिया

गया था, और उसी बैठक में आपने तुरंत ही संचालन समिति के सदस्यों में से एक बनने को स्वीकार कर लिया था।

इस तर्क को खारिज करते हुए कि याचिकाकर्ता को हिरासत में रखने के लिए आधार एक अच्छा कारण बन सकते हैं, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, जिन्होंने न्यायालय का निर्णय दिया, ने कहाः-"कानूनी तरीके से शिकायतों के निवारण के लिए एक संघ का गठन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार, शांतिपूर्ण और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार और संघ बनाने के अधिकार का एक हिस्सा है, जिसकी गारंटी संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) (बी) और (सी) द्वारा दी गई है। अनुच्छेद 19 के खंड (2) (3) और (4) के तहत राज्य को अन्य बातों के साथ-साथ सार्वजनिक व्यवस्था के हितों में उन अधिकारों के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने का अधिकार है। यह शक्ति कानून के अधिकार के तहत निवारक निरोधों को वैधता प्रदान करती है। लेकिन ऐसे किसी भी कानून के तहत पारित निरोध के आदेश को फिर से इस परीक्षण का जवाब देना होता है कि निरोध के आदेश और निरोध के उद्देश्य की स्थापना करने वाले बंदी के कृत्यों के बीच एक सांठगांठ होनी चाहिए। यहाँ उद्देश्य याचिकाकर्ता को सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल तरीके से कार्य करने से रोकना है। केवल यह तथ्य कि याचिकाकर्ता ने छात्रों के आंदोलन के संचालन के लिए संचालन समिति के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी या वह उस समिति का सदस्य बनने के लिए तुरंत सहमत हो गया था, इस निष्कर्ष को सही नहीं ठहरा सकता है कि इन कृत्यों को सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए सोचा गया है। शांतिपूर्ण विरोध और एक विपरीत राय की आवाज लोकतांत्रिक प्रदर्शनों की सूची में शक्तिशाली स्वस्थ हथियार हैं। इसलिए, एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्टेंट को उठाना और उसे जेल की सलाखों के पीछे रखना असंवैधानिक है। पश्चाताप करने का अधिकार केवल संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त उद्देश्य के लिए लिया जा सकता है, उदाहरण के लिए सार्वजनिक व्यवस्था के हित में। इस मामले में उस सांठगांठ की कमी है "।

ये टिप्पणियां वर्तमान मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होती हैं जो व्यावहारिक रूप से उन सभी चौकों पर हैं जिनके साथ उनके प्रभुता का संबंध था। हालांकि, राज्य की ओर से यह इंगित किया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए बयानों के अनुसार और ऊपर निर्दिष्ट, याचिकाकर्ता ने घोषणा की थी कि जुलूस निकाले जाने के बाद सरकार को कानून और व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल होगा और यह तर्क दिया गया है कि घोषणा को सार्वजनिक व्यवस्था को कमजोर करने या सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल अपराध के लिए उकसाने के रूप में लिया जाना चाहिए। हमारी राय में, यह विवाद पूरी तरह से सारहीन है। इस तथ्य के अलावा कि याचिकाकर्ता द्वारा कथित रूप से की गई घोषणा प्रथम सूचना रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है और इसलिए, एक स्पष्ट सुधार प्रतीत होता है जो संभवतः सत्य नहीं है, इसकी व्याख्या सार्वजनिक व्यवस्था के उल्लंघन की आशंका पैदा करने वाली किसी भी चीज़ के रूप में नहीं की जा सकती है या जो इस तरह के उल्लंघन का कारण बनती है। जिन परिस्थितियों में यह कहा गया है कि यह किया गया है, इसका मतलब केवल यह हो सकता है कि याचिकाकर्ता ने सही या गलत तरीके से सोचा कि विचारित अनुपात का जुलूस इतनी ताकत का विरोध होगा कि सरकार इसे नगण्य महत्व की नहीं मानेगी और जुलूस में शामिल लोगों की मांगों को पूरा करेगी। यह उल्लेखनीय है कि न तो रिपोर्ट की सामग्री के अनुसार और न ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए बयानों के अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा एक भी शब्द नहीं बोला गया था, जिसे किसी भी

प्रकार की हिंसा के लिए उकसाने के रूप में माना जा सकता है। जुलूस का घोषित उद्देश्य भिवानी जिले के छात्रों और राज्य कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना था, जो उपायुक्त को मांगों के चार्टर की प्रस्तुति के साथ नारों का रूप लेना था, शांति तोड़ने या हिंसा में लिप्त होने या दूसरों को ऐसा करने के लिए मजबूर करने का कोई इरादा नहीं था, याचिकाकर्ता पर आरोप लगाया जा सकता है। इसलिए, राज्य द्वारा 'सार्वजनिक व्यवस्था' पर निर्भरता पूरी तरह से गलत है।

(8) बताए गए कारणों से, हम मानते हैं कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों में अधिनियम की धारा 9 के तहत कोई मामला नहीं बनता है। इसलिए रिपोर्ट और निचली अदालत के समक्ष कार्यवाही को रद्द कर दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अजीतपाल सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
हिसार, हरियाणा